न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार योगी, आर0ए0एस0

पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र सं0 – 07/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
महावीर पुत्र मुन्नालाल जाति माली निवासी बाईसर बास ताउसर तहसील व जिला नागौर।		1नेमीचंद पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी बास तुलीसर ताउसर तहसील व जिला नागौर। 2रूपचंद पुत्र पांचाराम जाति भाटी निवासी बाईसर बास ग्राम ताउसर तहसील व जिला नागौर। 3पापालाल पुत्र बिरदीचंद जाति भाटी निवासी बाईसर बास ताउसर तहसील व जिला नागौर। 4 ग्राम पंचायत ताउसर ज़रिये सरपंच ग्राम पंचायत ताउसर।

उपस्थिति–

1– श्री अनिल गौड अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

आदेश दिनांक 12.02.2024

(1) पंचायत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा प्रस्ताव दिनांक 15.02.1991 जिसके द्वारा पटटा सं. 26/1990–91 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई जो न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.02.2021 के स्वीकार करने से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे।

(2) वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि–

(2)(i) न्यायालय हाजा के समक्ष जब पत्रावली पूर्व में सुनवाई हेतु नियत थी अर्थात आदेश दिनांक 22.02.2021 से लंबित थी तब प्रार्थी ने 28 साल बाद मियाद का बिन्दु भी उठाया था अर्थात काफी लम्बे समय के पश्चात अपील प्रस्तुत करने की उजरदारी न्यायालय हाजा के समक्ष की थी, मगर न्यायालय हाजा ने उस महत्वपूर्ण बिन्दु पर किसी प्रकार का विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं किया था एवं न ही उस महत्वपूर्ण बिन्दू पर कंसीडर ही किया था। जिससे भी आदेश रिव्यू कर स्पीकिंग आदेश के रूप में सम्यक आदेश पारित किया जाना उचित व न्याय संगत है।

(2)(ii) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 24.01.2019 को प्रस्तुत किया गया था, जिससे स्वयं रूपचंद द्वारा यह कथन किया गया था कि वह अब निगरानी चलाना नहीं चाहता है और ग्राम पंचायत ताउसर के द्वारा महावीर के हक में जो पटटा जारी किया गया हैं, उसमें मुझे किसी प्रकार की आपति नहीं है एवं रूपचंद की हद तक निगरानी विड्रावल के जरिये खारिज करने का भी निवेदन किया गया था, मगर इस बिन्दु पर निर्णय दिनांक 22.02.2021 में किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया गया था, इससे भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की हैं, जो रिव्यू के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2)(iii) प्रार्थी द्वारा जब राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 651 मौजा ताउसर की पुरानी नकले ली गई, खसरा नम्बर 651 मौजा ताउसर के पुराने खसरा नम्बर 575 थे। जिसमें बारानी दोयम भूमि की किस्म के रूप में अंकन एवं इसी क्रम में खतौनी संवत 2000 जोधपुर गवर्नमेन्ट द्वारा ग्राम ताउसर के खसरा नम्बर 575 के संबंध में भी बारानी 2 गैर मुमकिन का अंकन किया गया है। खसरा नम्बर 651 व उसके पुराने खसरा नम्बर 575 उसकी कभी भी किस्म गैर मुमकिन गोचर नहीं रही थी एवं न्यायालय हाजा ने गलत रूप से गैर मुमकिन गोचर मान जो पटटा प्रार्थी के हक में जारी किया गया हैं, वह निरस्त कर त्रुटि कारित की

अपर कलक्टर, नागौर

है। चूंकि यह दस्तावेज प्रार्थी को निर्णय के पश्चात राजस्व रेकर्ड के अवलोकन करने से प्राप्त हुए थे, इस कारण अब प्रार्थी इन दस्तावेजो के आधार पर न्यायालय हाजा में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(2)(iv) खसरा नम्बर 651 मौजा ताउसर पर तत्कालीन समय में लगभग पच्चीस–तीस व्यक्तियों के हक में पटटे जारी किये गये थे, जो आज भी यथावत है। जिन पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय किसी भी न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है। मात्र प्रार्थी के विरूद्व ही यह निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 से 3 किस प्रकार से व्यथित पक्षकार थे, इसका कहीं भी उल्लेख या अंकन नहीं किया गया है। न ही अधीनस्थ न्यायालय के रामक्ष धारा 96 सीपीसी का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं न ही आदेश 1 नियम 8 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय से अलग से स्वीकृति ली गई थी। धारा 96 सीपीसी व आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 से 4 न तो व्यथित पक्षकार थे और न ही निगरानी प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु अलग से आवेदन पेश किया गया था। इस कारण से भी रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 22.02.2021 निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 2001 मई 2001 पेज 256 से 258 तथा आरआरडी 1980 पेज 48 से 51 नजीरे पेश की।

(2)(v) प्रार्थी के द्वारा राजस्व रिकोर्ड की नकले व खसरा नम्बर 651 मौजा ताउसर के पुराने रिकार्ड की नकले निकलवाने पर प्रार्थी को यह सर्वप्रथम जानकारी हुई कि विवादित खसरा गैर मुमकिन गोचर नहीं होकर उसकी भूमि की किस्म बारानी दोयम है। यह राजस्व रिकार्ड की नकले प्रार्थी को दिनांक 24.01.2022 को प्राप्त हुई। प्रार्थी को निर्णय दिनांक 22.02.2021 को सर्वप्रर्थम जानकारी तो पूर्व में हो चुकी थी। मगर कोरोना काल आ जाने से एवं प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड की नकले लेने में समय लग जाने से सदभावी व युक्तियुक्त कारणों से विलम्ब हुआ है। इसके बाद प्रार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब यह निगरानी जानकारी के अंदर मियाद प्रस्तुत की। जिससे रिव्यू पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन करते हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना उचित एवं न्याय संगत हैं, जिस हेतु यह आवेदन पेश किया।

(3) प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने पुनरविलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा की पंचायत निगरानी सं. 145/2018 नेमीचंद व अन्य बनाम महावीर व अन्य के आदेश दिनांक 22.02.2021 से असंतुष्ट होकर पेश किया। प्रार्थी का उजर रहा है कि आराजी भूमि की किस्म बारानी दोयम है। जबकि मूल पंचायत निगरानी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम पंचायत ताउसर के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 23.10.17 के द्वारा स्कीम बाजार के पास स्थित राजकीय अस्पताल प्राथमिक चिकित्सालय के सामने खुली पडी जमीन पर पानी इकटठा हो रखा था। उक्त भूमि की किस्म रामेश्वरलाल पुत्र पूनमचंद द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम मे पटवारी से जानकारी चाही गयी। जिस पर पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 24.10.17 के अनुसार उक्त भूमि ग्राम ताउसर के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा अनुसार खसरा नं. 651 रकबा 7.15 बीघा गै.मु. गोचर मे अवस्थित होना बताया गया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जो कि प्रश्नगत भूमि के चिपती, ही भूमि से संबंधित है, के अनुसार तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 29/18 सरकार बनाम रामेश्वरलाल अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित आदेश दिनांक 14.05.18 से भी विवादित भूमि खसरा नं. 651 गै.मु. गोचर वाके ताउसर का भू भाग होना प्रकट करता है। जब भूमि आबादी क्षेत्र की नही है तथा न ही पंचायत की अपनी भूमि है, इस प्रकार पूर्व आदेश दिनांक 22.02.2021 में प्रार्थी द्वारा उठाये गये सभी उजर / तथ्यो को विश्लेषित कर आदेश पारित किया गया है तथा वर्तमान प्रार्थना पत्र में भी ऐसे कोई नये तथ्य नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधारो पर नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

(4) उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र ठोस आधार पर नही होने से खारिज किया जाता है। मूल पंचायत निगरानी सं. 145/2018 नेमीचंद व अन्य बनाम महावीर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 यथावत कायम रखा जाता है। मूल पत्रावली के साथ यह प्रार्थना पत्र संलग्न किया जावे।

(5) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर